

शासनादेश संख्या 1550/15-11-2016 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 09.09.2016 द्वारा निजी संस्थान महादेव महाविद्यालय नेरूवाडीह गहना प्लाट सं० 190मि, 68 जनपद-मऊ को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 30.05.2016 से 03.06.2016 के कार्यवृत्ति में की गयी संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

पृ०सं०/सम्बद्धता/14315-22 /2016-17 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन, शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-1, ए०आई०सी० बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005(राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान- मऊ।
7. प्रबन्धक/सचिव, महादेव महाविद्यालय नेरूवाडीह गहना प्लाट सं० 190मि, 68 जनपद-मऊ।
8. गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

प्रेषक,

आर०के०मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जीनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक: 10 दिसम्बर, 2008

विषय- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-पू०वि०वि०/सम्बद्धता/02-29(एक)/2006/2088, दिनांक 15.09.2008 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री राज्यपाल महादेव महाविद्यालय, नेरुबाखीह, गहना, मऊ को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, समाजशास्त्र, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास एवं भूगोल विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिचयमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या-3892(1)/सत्तर-6-2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3. प्रबन्धक, महादेव महाविद्यालय, नेरुबाखीह, गहना, मऊ।
4. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०के०मिश्र)
अनु सचिव।

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि /सम्बद्धता/07- (एक)/2019/7868
दिनांक: 18-10-19


सेवा में,

प्रबन्धक,
महादेव महाविद्यालय,
नेरुवाडीह, गहना,
मऊ।

विषय : स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

- महोदय,
- उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 1103 (1)/सत्तर-6-2014-2(97)/2014, दिनांक-01 अगस्त, 2014, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संघालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में महादेव महाविद्यालय, नेरुवाडीह, गहना, मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम (द्विवर्षीय) में 100 सीटों (02 यूनिट) की प्रवेश क्षमता सहित सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक-01.07.2019 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है :-
1. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक-02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
 2. शासनादेश संख्या-5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या- 5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन/एन0सी0टी0ई0 जयपुर द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत अद्यतन शासनादेशों के अनुसार किसी शैक्षणिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं कार्डसलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पढ़न-पाठन कराया जायेगा।
 4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
 5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
 6. महाविद्यालय की भूमि आदि में किसी भी प्रकार की कोई ब्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
 7. शासन के पत्र संख्या-12/2015/450/सत्तर-2015-16 (33)/2015, दिनांक-12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
 8. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण-पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
 9. A.I.S.H.E. के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन समस्त अग्रिम वर्षों के अन्तर्गत।
 10. सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क का भुगतान अग्रिम वर्षों के अन्तर्गत।
 11. N.C.T.E के मूल पत्र के सत्यापन के अन्तर्गत।
 12. महाविद्यालय समय-समय पर शासन/एन0सी0टी0ई0 एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करेगा।
 13. महाविद्यालय उपरोक्त समस्त निर्देशों का पालन करेगा अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

भवदीय,


12/10/19
कुलसचिव

तैलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारत सरकार। जी-7, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
5. परीक्षा नियंत्रक।
6. अधीक्षक (शैक्षणिक) कार्यपरिषद की आगामी बैठक में संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
7. टेक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART -III, SECTION 4

File No. NRC/NCTE/Recognition/D.El.Ed./2016

142867-3467

Dated: 3 MAR 2016

RECOGNITION ORDER

WHEREAS in terms of section 14(1)/15(1) of the NCTE Act, 1993, the institutions had submitted applications to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for Teacher Education Courses.

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal, veracity of the facts & figures as per the application submitted by the institutions mentioned in table below, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography and also the reply submitted by the institution against decision of clause 7(13) of the NCTE Regulations, 2014, the Northern Regional Committee in its meeting held from time to time (mentioned against each of the institution) is satisfied that the institution/society fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the concerned Teacher Education Programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms and as per the approval of faculty given by the affiliating bodies.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a)/15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition/permission to the following Institutions for conducting Teacher Education programme with an annual intake mentioned against their names from the academic session 2016-2017 under clause 7(16) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014 subject to fulfilment of the conditions mentioned below

S. No.	File No.	Name of the Institutions	Course	Duration	Approved annual intake	Meeting	Name of Affiliating Body
1.	NRCAPP-15147	Sri Gangaram Bankelal Degree College, Plot No.-45, Street No.-45, Village-Harsinghpur, Post Office-Madaripur, Tehsil/Taluka- Jalaun, Town/City- Jalaun, District-Jalaun-285130, State- Uttar Pradesh	D.El.Ed. (Addl.)	2 Years	50 (1 unit)	250 (Part-8)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
2.	NRCAPP-15485	Babu Mangala Rai Smarak Sansthan, Plot No.-112, Village-Amaura, Post Office-Pandaha, Tehsil /Taluka-Lalganj, Town/City-Azamgarh, District-Azamgarh-276202, State- Uttar Pradesh	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 unit)	250 (Part-9)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
3.	NRCAPP-15107	Dwanika Prasad Balakram Mahavidyalaya, Plot No.- 15,25,26, Village- Bidhuna, Post office- Bidhuna, Tehsil/Taluka- Bidhuna, Town/City- Bidhuna, Distt.- Auraiya-206243, Uttar Pradesh.	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 unit)	250 (Part-9)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
4.	NRCAPP-15536	Shri Sharada Mata Prasad Degree College, Plot No.- 1225, 1226, Village- Mai Kharagpur, Post office- Ubarpur, Tehsil/Taluka- Lalganj, Town/City- Azamgarh, Distt.- Azamgarh, Uttar Pradesh-276202.	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 unit)	250 (Part-9)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
5.	NRCAPP-15143	RMS College, Plot No.- 2680, Village-Kalyanpur, Post office- Kalyanpur, Tehsil/Taluka- Soran, Town/City- Allahabad, Distt.- Allahabad, Uttar Pradesh-212507	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 unit)	250 (Part-9)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.

143161	296.	NRCAPP-11373	KCM College of Education, Plot no. 873, Street no. NA, Village -Purseni, P.O. - Mohanlalganj, Tehsil - Mohanlalganj, Town -Lucknow, District -Lucknow -227305, Uttar Pradesh.	D.El.Ed. Increase In Intake	2 Years	50 (1 Unit)	250-12	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143162	297.	NRCAPP-11413	Khair Kanya Mahavidyalaya, Plot No. 1323, 1326, 1327, 1325, Village - Khair, Post Office - Khair, Tehsil - Khair, Dist. -Aligarh (UP) 202138	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 Unit)	250-12	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143163	298.	NRCAPP-11425	Mata Tetara Devi Sachidanand Girls Degree College, Plot No. 914, Village - Alipur Mandara, Post Office - Alipur Mandara, Tehsil - Jakhaniya, Dist. - Ghazipur (UP) 275203	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 Unit)	250-9	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143164	299.	NRCAPP-11429	DEO Indrawati Mahavidyalaya, PlotNo. 2994k, 2938, 2939, 2940, Village - Katehari, Post Office- Katehari, Tehsil - Akbarpur, Dist. - Ambedkar Nagar (UP) 224151	D.El.Ed. Increase In Intake	2 Years	50 (1 Unit)	250-10	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143165	300.	NRCAPP-11432	Bhavdiya Educational Institute, Plot no. 1173, Street no. NH-28, Village -Sebar, P.O. Badagaon, Tehsil -Sohawal, Town-Sohawal, District -Faizabad -224126 , Uttar Pradesh	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 Unit)	250-11	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143166	301.	NRCAPP-11436	L R S College, Plot no. 92 & 93, Street no. NA, Village -Shariefpur Khoraj, P.O. Nagina, Tehsil -Nagina, Town-Nagina, District - Bijnor - 246762, Uttar Pradesh	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 Unit)	250-12	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143167	302.	NRCAPP-11476	Israwati DeviMahavidyalaya, PlotNo. 96, Village- Kammarpur, Post Office- Haripur, Tehsil - Kadipur, Dist.- Sultanpur (UP) 228161	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 Unit)	250-9	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143168	303.	NRCAPP-11480	C M College of Education, Plot no. 638, 660, Street no. NH-28, Village - Rudrapur, P.O. - Kusmi Bazar, Tehsil - Chauri Chaura, Town-Gorakhpur, District -Gokakhpur -273002 , Uttar Pradesh	D.El.Ed. Increase In Intake	2 Years	50 (1 Unit)	250-12	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143169	304.	NRCAPP-11494	Rajnath Mahavidyalaya, Plot No. 154kh, 255kh, 256, 257, 262, Village - Shukulpati, Post Office- Kathataranv, Tehsil - Madhuban, Dist.- Mau (UP)221602	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 Unit)	250-11	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143170	305.	NRCAPP-11500	Mahadev Mahavidyalaya, Plot No. 190 mi, 68, Village - Neruvadeeh, Post Office - Gahana, Tehsil - Sadar, Dist. - Mau (UP) 221705	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 Unit)	250-12	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143171	306.	NRCAPP-11513	R S Memorial Prashikshan Sansthan,Plot No.-863 Ja 836 NA 863 KHA,Street No.-NA,Village-Lalmanpur,Post office-Lalmanpur,Tehsil/Taluka-AAlapur,Town/City-Ambedkarnagar,District-Ambedkarnagar,State-UP.,Pin Codc-224176.	D.El.Ed. Increase In Intake	2 Years	50 (1 Unit)	250-12	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143172	307.	NRCAPP-11523	Vishwakarma Kanya Mahavidhyalaya, Plot No. 3408, 3441, Village - Tappal, Post Office- Tappal, Tehsil- Khair, Dist.- Aligarh (UP) 202165	D.El.Ed. Increase In Intake	2 Years	50 (1 Unit)	250-12	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.

5. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.


6. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure:-

- (i) Copy of the Application Form
- (ii) Land and Building Particulars
- (iii) Staff Profile
- (iv) Recognition letter
- (v) Information for having fulfilled the norms & standard and other required conditions.

7. In case if the land is in the name of the Society/trust, the land is to be transferred within six months in the name of the institution, failing which action shall be initiated to withdraw the recognition. It shall be essential on the part of the institution concerned to get the needful done in this regard and intimate about the same to the respective Regional Committee along with the new land documents within the stipulated time.

8. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee shall withdraw the recognition as under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

9. Further, if the institution is not satisfied with the order, it may prefer an appeal under sections 18 of NCTE Act, 1993 in the "online mode" available on NCTE's website www.ncte.india.org within 60 days from the date of this order. The guidelines for filing appeal may be seen on NCTE's website.


By order

(Dr. S.K. Chaudhary) 28/03/16
Regional Director

Encl:- As above

The Manager to Govt. of India,
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi - 110 054

Copy to:-

1.	The Principal, of above institutions	
2.	The Principal Secretary, Basic Education, Government of Uttar Pradesh, 2nd Floor, Room No. 15, Sachiv Bhawan, Secretariat, Lucknow-226001, Uttar Pradesh	<i>With a request to ensure compliance of the terms & conditions as laid down above.</i>
3.	The Director, State Council Education for Research & Training (SCERT), UP State Government, JBTC Campus, Nishat Ganj, Lucknow-226007, Uttar Pradesh	<i>With the request to ensure veracity of the NOC & approval of the staff issued to the institution and also ensure that the admission are made by the institutions as per the size of unit and intake mentioned in the recognition /permission order and compliance of other terms and conditions as laid down above.</i>
4.	The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001	
5.	The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing-II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002.	
6.	Computer Section of NRC, NCTE, Jaipur for upload the same of NRC website.	
7.	Office order file/ Institution file.	


Regional Director